तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
8/4/26	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थी / वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि का एक विविध प्रार्थना पत्र भागदान बनाम सरकार विचाराधीन है। वाद भागदान की तरफ से एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया की प्रार्थी के पिता सुल्तान व उसके अन्य भाईयों की तरफ से राजस्थान राज्य के विरूद्व अपने परिवार का सजरा खानदान दर्शाते हुए दावा पेश किया की अराजी खसरा न0 319 / 60.07 बीधा रोही मौजा फेफाना वादीगण के दादा आईदान की नोतोड भूमि है जिसके सम्बत 1983 के बाद 420व 421 / 2 दो खसरा बनाये गये जो सम्वत 1983 की सेटलेमन्ट मेब ने है तथा उक्त भूमि ग्राम फेफाना भाखडा परियोजना के अन्दर आने पर उपरोक्त भूमि के चक 5 जेएसएन बन गये तथा प0न0 358 / 376 के किला न0 3 ता 8 / 6.00 व किला न0 12 ता 15 / 4.00 बीधा ,17ता 19 / 3.00 प0न0 359 / 376 के किला न0 1 / 1.00बीधा , प0न0 358 / 376 के किला न0 21 ता 24 प0न0 357 / 377 के किला न0 6 / 0.18 बीधा किला न0 5 की 0.18बीधा प0न0 358 / 377 के किला न0 1 ता 4 / 4.00 बीधा व 7 ता 14 / 8.00 बीधा व किला न0 18 ता 20 / 3.00 बीधा कुल 36.00 बीधा में परिर्वतन हो चुकी है जिसकी रकम आईदान ने जमा करवाई थी तथा जिसके वे खातेदार काश्तकार थे तथा गलती से मन्दिर करणी दर्ज हो गई जबकि वाद भूमि वादीगण के बुजुगान के कब्जा काश्त की नोताड भूमि थी न्यायालय में दुरूस्त करवाने का वाद पेश किया गया था जो खारिज कर दिया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.1983 के खिलाफ प्रार्थी ने यानि वादीगण के पिता ने व उसके भाईयो राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने पर हनुमानगढ स्थानान्तरण हुई जिसमें माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 31.07.1996 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 30.04.1983 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था पत्रावली रिमाण्ड होने के उपरान्त आज तक उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नही हुई है जिसके कारण प्रार्थीगण जो हितबद्व पक्षकार है को अपूर्णीय क्षति होती है अनके खातेदारी अधिकारो का हनन होता है उक्त पत्रावली को अभिलेखागार या अन्य जहॉ भी हो तलब किया जाकर राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय की पालना करवावे अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त मौजुदा दावा को विविध प्रार्थना पत्र 13 / 2016 अनवानी भागदान बनाम सरकार को रिमाण्ड प्रकरण सुंलतान बनाम सरकार को तलब कर उसके साथ किये जाने के आदेश फरमावे। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार वादी के पूर्वजों ने एक वाद सुलतान बनाम सरकार अपने [illegible] घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश किया गया था जो इस न्यायालय [illegible] दिनांक 30.04.1983 को खारिज कर दिया गया [illegible] माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश करने पर बाद सुनवाई [illegible]य न्यायालय ने दिनांक 31.07.1996 को निर्णय पारित किया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से निर्णय 31.07.1996 को प्रकरण रिमाण्ड होने पर प्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही करने पर प्रकरण में आगामी सुनवाई नही की गई ना ही प्रार्थी ने आगामी सुनवाई हेतु कोई कार्यवाही की जानी पाई जाती है।

वर्ष 2016 में प्रार्थीगण के द्वारा पुनः उसी भूमि के सम्बध में पूर्व में पारित निर्णय को प्रति पेश कर हस्तगत वाद पेश कर दिया और वही अनुतोष चाहा गया जो पूर्व में प्रस्तुत सुलतान बनाम सरकार वाद में अनुतोष चाहा गया था जो विधि सम्मत नही है

वादी/प्रार्थीगण के द्वारा वर्ष 1996 में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण/वादी के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई हो।

प्रार्थीगण पूर्व में प्रस्तुत वाद सुलतान बनाम सरकार जो राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा रिमाण्ड किया गया था पर ही सुनवाई कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है पुनः किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र /वाद पेश कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है

प्रार्थीगण /वादीगण स्वय ने निवेदन भी किया गया है पूर्व वाद सुलतान बनाम सरकार को पेशी में लिया जाकर आगामी कार्यवाही फरमावे प्रार्थीगण ने काफी देरीना से रिमाण्ड प्रकरण को पेशी में लेने का निवेदन किया गया जो उचित नही है किन्तु किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना विधिसम्मत है सुनवाई के अभाव में किसी भी पक्षकारो के हित प्रभावित करना न्यायोचित नही है प्रार्थीगण पूर्व प्रकरण सुलतान बनाम सरकार मे विधिवत सुनवाई के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण भागदान बनाम सरकार में वर्णित भूमि के सम्बध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा सुलतान बनाम सरकार में निर्णय पारित किया जा चुका है जिसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष की गई थी माननीय न्यायालय ने प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये थे उसी प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकती है पृथक से पुनः वाद पेश कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है हस्तगत प्रकरण भागदान बनाम सरकार की कार्यवाही को स्थगित किया जाना विधि सम्मत है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 10 सीपीसी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण भागदान बनाम सरकार की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है तथा पुर्व प्रकरण सुलतान बनाम सरकार को तलाश किया जाकर पुनः पक्षकारो का सुनवाई की कार्यवाही आरम्भ करने की कार्यवाही की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.16 17:04:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर